

कार्यालय:-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द

क्रमांक :- 28


दिनांक :- 14/02/2025

:: कार्यालय आदेश ::

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द को वर्ष 2025-2026 (दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2026 तक) के लिये 34100/- रूपये एवं 2000 किलोमीटर प्रतिमाह दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि के लिए वाहन किराये पर लेने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	पद नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द	अध्यक्ष
2	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द	सदस्य
3	वरिष्ठ सहायक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द	सदस्य

उपापन समिति द्वारा विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित कर प्राप्त प्रस्तावों में वाहन का फिजिकल निरीक्षण व दस्तावेजात की जांच के उपरान्त उपयुक्त वाहन का प्रस्ताव लिया जावे।



अध्यक्ष उपापन समिति,
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
राजसमन्द

क्रमांक:- जि.वि.से.प्रा./2024/670-673

दिनांक :- 14/02/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द
3. सहायक लेखाधिकारी जि०से०न्या० राजसमन्द
4. व०स०, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमन्द
5. कार्यालय प्रति।


अध्यक्ष उपापन समिति,
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
राजसमन्द

कार्यालय:—जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द

क्रमांक : 06

दिनांक : 14-02-2025

—: वाहन किराये पर लेने की सूचना :—

इस विभाग में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द के लिये 01 वाहन किराये पर लिये जाने हेतु प्रतिष्ठित अनुभवी व्यक्ति वाहन स्वामी/ठेकेदार/फर्म से संलग्न प्रारूप में व शर्तों तथा शरायतों के अध्यक्षीन मोहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

पूर्णरूप से भरे हुए सीलबंद प्रस्ताव दिनांक 21.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (एडीआर सेंटर), राजसमन्द के कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। प्रस्ताव उसी दिन खोले जायेंगे। प्रस्ताव पत्र का प्रारूप व शर्तें एवं शरायतें जिला न्यायालय, राजसमन्द की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/rajsamand> तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाईट www.rlsa.gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है तथा इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।



अध्यक्ष उपापन समिति,
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
राजसमन्द

क्रमांक : जि.वि.से.प्रा./2025/ 675-675

दिनांक : 14-02-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

01. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
02. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द
03. कार्यालय प्रति।



अध्यक्ष उपापन समिति,
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
राजसमन्द